



बोडश विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना विधान सभा को प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-21.03.2016 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम संखिया	विषय संख्या	विभाग
1	2	3	4

1. श्री नन्द किशोर यादव, समाज कल्याण विभाग के प्रभारी-440, दिनांक-16.02.2012 द्वारा समाज संखिया संख्या-2509, विधान के सत्र से सचिव, समाज कल्याण विभाग का कल्याण पत्रांक-2509, दिनांक-30.05.2013 एवं दिनांक-13.05.2015 द्वारा गम्य के सभी बिलों पदाधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि लष्टमीबाई विधवा पेंशन योजना के लिए कोई प्रमाण-पत्र नहीं मांगना है किन्तु आरटी०पी०एस० काउंटर पर (क) पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र (ख) मतदाता पहचान पत्र एवं (ग) आय प्रमाण-पत्र, जो 59,000/- रुपये का हो, को अवैध रूप से मांग की जाती है। आरटी०पी०एस० सेवा होने के कारण 45 दिनों में आवेदन का निपटारण करना है किन्तु आवेदन के निपटारण में दो-दो साल लग जाता है तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र वर्ष 2002/2003/2006/2007/2012 अर्थात् पुराना है, की अधियुक्ति के साथ रान्य के अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा विधवा बहनों का आवेदन रद्द कर दिया जाता है।

अतः लष्टमीबाई विधवा पेंशन योजना में रान्य के अनुमंडल पदाधिकारियों के द्वारा की जा रही मनमानी पर योक लगाने तथा सरकार के अनुदेश के आलोक में विधवा पेंशन की स्वीकृति हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2. श्री अर्जुन शर्मा, सर्वोच्च संविधान सभा श्री सदानन्द मिहं,	भागलपुर जिला के बिहुर प्रखण्ड के महावा गांव के श्री प्रमोद गुहा, चरीम अधिकारी की दिनांक- 15.03.2016 को शाम 5.30 बजे अप० में नवगङ्गाय न्यायालय से अपने घर महावा गांव में जीतुर्हे चक्का एन.एच. 31 पर दगलपुर चौक के सर्वोच्च जायले गाड़ी पर सवार पांच अपराधियों के द्वारा उनकी कार को ओभरटेक करते हुए यो गाड़ी मार कर हत्या कर दी गयी। उक्त अपराधियों की अभी तक गिरफतारी नहीं हुई है।	उत्तर: प्रमोद गुहा, चरीम अधिकारी की हत्या एवं मौलिकता को लांच नियमान्वय से करते हुए हत्यारों एवं साजिश में शामिल अपराधियों पर कार्रवाई करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्ष करते हैं।	गुहा

राजीव कुमार

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-प्रया०प्र०-15/16-

573

विभाव, पटना, दिनांक- 17 मार्च, 2016 ई०।

प्रति:- बिहार विधान सभा के सदस्याण्ण / मुख्य मंत्री / उप मुख्यमंत्री / भविष्याण / मुख्य सचिव, बिहार एवं सचिवाल के प्रधान सचिव / लोकासुकृत के जाता सचिव / कार्यपाली सचिव, बिहार विधान परिषद् / नानाधिकारी, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / समाज कल्याण विभाग तथा गृह विभाग के सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/16

(भूषण कुमार झा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-प्रया०प्र०-15/16-

573

विभाव, पटना, दिनांक- 17 मार्च, 2016 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप सचिव एवं प्रशास्त्रा प्रशिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमसः; माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनाएँ प्रेषित।

17/3/16

(भूषण कुमार झा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

17/3/16